

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 2096 / 2024

डॉ. सुरेश कुमार यादव

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं संलग्न चिकित्सालय, जयपुर राजस्थान।

—प्रत्यर्थागण

आदेश दिनांक :- 26.06.2024

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री संदीप कलवानिया उपस्थित।
2. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी सहायक आचार्य (General Medicine) के पद पर एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी का आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक-1) के द्वारा मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में स्थानान्तरण किया गया है। उक्त आदेश की अनुपालना में कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 08.06.2024 (अनुलग्नक-2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी को टीए एवं डीए प्रदान किये जाने का उल्लेख आलोच्य आदेश में नहीं है। ऐसे में आलोच्य आदेश बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि बीकानेर में सहायक आचार्य (General Medicine) का कोई पद रिक्त नहीं है। ऐसे में बिना रिक्त पद के अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है।
4. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
5. अपीलार्थी का यह तर्क कि मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में अपीलार्थी के लिये कोई पद रिक्त नहीं है, माने जाने योग्य नहीं है, क्योंकि उक्त कॉलेज में

General Medicine के दो पद रिक्त होना प्रकट हुआ है। जहां तक अपीलार्थी को टीए एवं डीए दिये जाने का उल्लेख आलोच्य आदेश में नहीं होने का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में हमारे विचार से अपीलार्थी नियमानुसार टीए एवं डीए प्राप्त करने की अधिकारी है। केवल टीए एवं डीए का उल्लेख स्थानान्तरण आदेश में नहीं होने से उक्त आदेश गलत होना नहीं माना जा सकता। नियोक्ता को यह अधिकार है कि वह अपने विवेक से यह निर्णय ले सकता है कि वह किस कार्मिक की सेवाए किस स्थान पर प्राप्त करें। उक्त निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक वह निर्णय दुर्भावनापूर्वक एवं विधि विरुद्ध तरीके से पारित किया गया हो।

6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)